



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233544
CG-DL-E-17022022-233544

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 716]
No. 716]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2022/माघ 27, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2022/MAGHA 27, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

का.आ. 736(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा सिक्किम राज्य के साउथ डिस्ट्रिक्ट जिले में NH 510 के कि.मी. 33.6 से कि.मी.58.84 (जिला कलेक्ट्रेट दक्षिण सिक्किम नामची) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 11 जनवरी, 2022 को "सिक्किम एक्सप्रेस" और "अनुगमिनी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

सिक्किम राज्य के साउथ डिस्ट्रिक्ट जिले में NH 510 के कि.मी. 33.6 से कि.मी.58.84 (जिला कलेक्ट्रेट दक्षिण सिक्किम नामची) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: सिक्किम		जिले का नाम: साउथ डिस्ट्रिक्ट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: राबोंगला				
	गांव का नाम: लिंगजू विलेज				
1	468	निजी	ढ़ै	0.158	गुमान सिंह चेतरी ()
2	474	निजी	ढ़ै	0.138	गुमान सिंह चेतरी ()
3	475	निजी	ढ़ै	0.098	गुमान सिंह चेतरी ()
4	476	निजी	ढ़ै	0.08	गुमान सिंह चेतरी ()
5	609	निजी	ढ़ै	0.12	शान्ति देवी & कमला राई ()
6	624	निजी	ढ़ै	0.032	लेक् टीशरिंग लेपचा ()
7	626/705	निजी	ढ़ै	0.048	लेक् टीशरिंग लेपचा ()
	गांव का नाम: लोअर दर्गाओं				
8	442/641	निजी	ढ़ै	0.006	दिक माया क्षेत्री

					()
	गांव का नाम: मामरिंग विलेज				
9	138	निजी	खै	0.014	जित माया राई ()
10	141	निजी	खै	0.14	जित माया राई ()
11	143	निजी	कार्डमों	0.01	ओङ्मु लेप्चा ()
12	33	निजी	कार्डमों	0.0043	जम्बु शेर्पा ()
13	59	निजी	खै	0.06	मोन् बहादुर & मैआ ()
14	60	निजी	खै	0.034	दलबहादुर क्षेत्री ()
15	61	निजी	खै	0.06	दलबहादुर क्षेत्री ()
16	63	निजी	खै	0.096	भगर सिन् चेतरी ()
	गांव का नाम: नारदंग विलेज				
17	377	निजी	खै	0.13	पासांग लेपचा ()
18	378	निजी	खै	0.054	पासांग लेपचा ()
19	378/618	निजी	खै	0.012	समसिंग लेपचा ()
20	385	निजी	खै	0.022	दिल्ली रेम् राई ()
21	386	निजी	खै	0.018	दिल्ली रेम् राई ()
22	399	निजी	खै	0.034	मनबीर चेतरी ()
23	400	निजी	खै	0.07	मनबीर चेतरी ()
24	401	सरकारी	बेन्द्रो	0.03	सिक्किम गौत. खसमल

					()
25	402	निजी	खै	0.234	दिल्ली रेम् राई ()
26	444	निजी	खै	0.016	दिल्ली रेम् राई ()
गांव का नाम: उप्पेर दर्गाओं					
27	203	निजी	खै	0.033	धन कूम्भार राई ()
28	605	निजी	खै	0.022	खरका सिन् चेतरी ()
29	606	निजी	खै	0.14	बाक्टा बहादुर राई ()
			कुल	1.9133	

[फा. सं. NHIDCL/PMU-SKM/Ravangla-Legship/2020-21/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th February, 2022

S.O. 736(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 510 on the stretch of land from Km 33.6 to Km 58.84 (District collectorate South Sikkim Namchi) in the district of SOUTH DISTRICT in the state of SIKKIM

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sikkim Express” and “Anugamini” both dated 11 January 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 510 in the stretch of land from NH 510 (District collectorate South Sikkim Namchi) in the district of SOUTH DISTRICT in the State of SIKKIM

State: SIKKIM District: SOUTH DISTRICT					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Rabongla				
	Village: Lingzoo Village				
1	468	Private	Dry	0.158	Guman Singh Chetteri
2	474	Private	Dry	0.138	Guman Singh Chetteri
3	475	Private	Dry	0.098	Guman Singh Chetteri
4	476	Private	Dry	0.08	Guman Singh Chetteri
5	609	Private	Dry	0.12	Shanti Devi & Kamala Rai
6	624	Private	Dry	0.032	Lak Tshering Lepcha
7	626/705	Private	Dry	0.048	Lak Tshering Lepcha
	Village: Lower Dargaon				
8	442/641	Private	Dry	0.006	Dik Maya Chettri
	Village: Mamring Village				
9	138	Private	Dry	0.014	Jit Maya Rai
10	141	Private	Dry	0.14	Jit Maya Rai
11	143	Private	Cardamom	0.01	Ongmu Lepcha
12	33	Private	Cardamom	0.0043	Jambu Sherpa
13	59	Private	Dry	0.06	Mon Bahadur & Maya
14	60	Private	Dry	0.034	Dal Bahadur Chettri
15	61	Private	Dry	0.06	Dal Bahadur Chettri
16	63	Private	Dry	0.096	Bhagar Singh Chettri
	Village: Nardang Village				
17	377	Private	Dry	0.13	Passang Lepcha
18	378	Private	Dry	0.054	Passang Lepcha
19	378/618	Private	Dry	0.012	Samsing Lepcha
20	385	Private	Dry	0.022	Dilli Ram Rai
21	386	Private	Dry	0.018	Dilli Ram Rai
22	399	Private	Dry	0.034	Manbir Chettri
23	400	Private	Dry	0.07	Manbir Chettri
24	401	Government	Banjo	0.03	Sikkim Govt. Khasmal

25	402	Private	Dry	0.234	Dilli Ram Rai
26	444	Private	Dry	0.016	Dilli Ram Rai
	Village: Upper Dargoan				
27	203	Private	Dry	0.033	Dhan Kumar Rai
28	605	Private	Dry	0.022	Kharka Singh Chettri
29	606	Private	Dry	0.14	Bhakta Bahadur Rai
		TOTAL		1.9133	

[F. No. NHIDCL/PMU-SKM/Ravangla-Legship/2020-21/3D]

RAJESH GUPTA, Director